UPBL010019652025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, बलिया।
सत्र परीक्षण सं0–423/2025

सरकार

उ0प्र0राज्य --- अभियोजक

बनाम

खैरू निसा पत्नी अमदुक हक ग्राम मैनापुर बड्डा थाना सिकन्दरपुर, जिला बलिया --अभियुक्ता
मु0अ0सं0–121/2022
धारा–135 विद्युत अधिनियम
थाना–एन्टी पावर थेफ्ट
जिला बलिया ।

दिनांक– 07–03–2026

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्ता खैरू निसा की मृत्यु आख्या सम्बन्धित थाना सिकन्दरपुर से प्राप्त हुई जिसमें यह अंकित किया गया है कि अभियुक्ता खैरू निसा के घर दविश दिया गया तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्ता की मृत्यु दिनांक 19–12–2024 को हो गयी है । समर्थन में खरू निशा का मृत्यु प्रमाणपत्र व सभासद की रिपोर्ट संलग्न की गयी है ।

इस सम्बन्ध में सी0 डब्लू0 1 के रूप में अश्वनी कुमार मिश्र, उप निरीक्षक को परीक्षित कराया गया है । उक्त साक्षी ने अपने बयान में कहा है कि न्यायालय द्वारा जारी सम्मन का तामीला लेकर अभियुक्ता खैरू निसा के घर गया तो पूछ ताछ करने पर खैरू निसा की दिनांक 19–12–2024 को मृत्यु होने की जानकारी हुई । मृतका खैरू निसा के मृत्यु प्रमाणपत्र की छाया प्रति व सम्बन्धित वार्ड के सभासद मुहम्मद आयूब हसन से उनके लेखपैड पर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त प्रमाणपत्र लेकर मृत्यु आख्या रिपोर्ट तैयार किया है। उक्त मृत्यु आख्या को इस साक्षी ने प्रदर्श क–1 के रूप में तस्दीक किया है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्ता खैरू निसा का मुकदमा उपशमित किये जाने योग्य है ।

आदेश

अभियुक्ता खैरू निसा पत्नी अमदुक हक ग्राम मैनापुर बड्डा थाना सिकन्दरपुर, जिला बलिया की मृत्यु हो जाने के परिणाम स्वरूप उसके विरूद्ध चल रहे मुकदमे की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

मृतका खैरू निसा इस मुकदमें की एक मात्र अभियुक्ता थी । अतः पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(रामकृपाल)
विशेष न्यायाधीश(ई0सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
बलिया

मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव–स्टनो

Digitally signed by RAMKRIPAL
Date: 2026.03.07 16:42:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court